संख्याः 831/79-6-2014

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 09/07/2014

विषयः प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् बच्चों को मध्यान्ह भोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 2716/79-6-2007 दिनांक 10.10.2007 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) में अध्ययनरत् बच्चों को भी प्राथमिक स्तर की भाँति गर्म पका-पकाया मध्यान्ह भोजन दिये जाने की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में विभिन्न स्तरों के अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों तथा संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों यथा-अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों, अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों, समाज कल्याण व प्रदेश शासन के अन्य विभागों से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों हेतु किया जाना है।

2. शासनादेश संख्याः 635/79-6-2011 दिनांक 07.04.2011 के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सम्बन्ध में मध्यान्ह भोजन के संचालन हेतु सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक-अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष के संयुक्त नाम से खाता खोला जायेगा तथा तद्नुसार संयुक्त हस्ताक्षर से ही संचालित किया जायेगा। इस प्रकार नामित दोनों ही व्यक्ति अपने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत को प्राप्त करने एवं छात्रों को गर्म पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के निर्धारित अभिलेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की होगी।

संलग्नकः- उक्तवत्।

भवदीय,

(हीरा लाल गुप्ता)
सचिव,

पृष्ठांकन समसंख्यक तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।

4. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
5. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0।
9. प्रबन्ध निदेशक, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
10. रजिस्ट्रार, मदरसा शिक्षा परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
12. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
13. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
14. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
15. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
17. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
18. समस्त वित एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमरनाथ वर्मा) ९.७.१४

विशेष सचिव